भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6336

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-183 के कडावूर-अंजिलीमुडु खंड का उन्नयन

†6336. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल्लम और अलप्पुझा जिलों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 183 के कडावूर से अंजिलीमुडु खंड के विकास, चौड़ीकरण या उन्नयन के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृतियों का वर्ष-वार आवंटन और परियोजना लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण, निविदा और निर्माण जैसे चरणों सहित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग-183 के उक्त खंड के लिए आधिकारिक संरेखण योजना और अनुमोदित मार्ग संरेखण का ब्यौरा उपलब्ध कराएगी;

(ङ) क्या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से पुन:संरेखण, बाइपासों अथवा अतिरिक्त संपर्क सुधारों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना के शुरू होने और पूरा होने की समय-सीमा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग-183 के इस खंड के विकास में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) केरल राज्य में एनएच-183 के कोल्लम बाईपास जंक्शन (किमी 4/200) से अंजिलीमुडु (किमी 58/570) तक के खंड को चार लेन चौड़ीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और अब इस परियोजना की योजना लगभग 20 मीटर के प्रभावी मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के भीतर चार लेन के विन्यास के साथ बनाई गई है ताकि बड़ी संख्या में संरचनाओं की तोड़फोड़ को कम किया जा सके। राज्य सरकार से जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण की लागतों के संदर्भ में सहयोग मांगा जा रहा है, जिसमें जनोपयोगी गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण या वस्तु एवं सेवा कर के राज्य घटक की प्रतिपूर्ति शामिल है, जो भी राज्य सरकार के लिए बेहतर हो।

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। भूमि की उपलब्धता, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों के अधीन, मंजूरी पर विचार, निविदा प्रक्रिया और निर्माण सहित आगे की कार्रवाई मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।
